

महिला आर्थिक सशक्तिकरण में सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के योगदान का संक्षिप्त मूल्यांकन

1. डॉ० उमेश कुमार दीक्षित, प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड, उत्तर प्रदेश।
2. राधा, शोधार्थिनी, समाजशास्त्र विभाग, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड, उत्तर प्रदेश।

सार—

उत्तर प्रदेश के हापुड जिले में महिलाओं का आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण का अनुसंधान महिलाओं के आर्थिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सशक्तिकरण के संबंध में महिला सशक्तिकरण के परिदृश्य का विश्लेषण करने में मदद करता है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में विभिन्न पहल विशेष रूप से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के समग्र उत्थान से संबंधित मुद्दों को योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रभाव के बीच की खाई ने इस अध्ययन को हापुड जिले में चल रहे चयनित महिलाओं के आर्थिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है। चयनित किए गए अध्ययन की दक्षता और प्रभावशीलता अनुसंधान के लिए अर्थात् सामाजिक आर्थिक कानूनी राजनीतिक रूप से सशक्त एवं मजबूत बनाना, महिलाओं के अधिकार एवं दायित्वों की सुरक्षा करना, शिक्षा, रोजगार, समान पारिश्रमिक एवं लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर समानता के अधिकारों का मूल्यांकन पहचान किए गए चरों की मदद से किया गया और फिर निष्कर्षों के माध्यम से निष्कर्ष निकाले गए तथा महिलाओं के वास्तविक कामकाज की वास्तविक तस्वीर को दर्शाते हैं। प्रस्तावित शोध का उद्देश्य महिलाओं के कल्याण एवं आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकारी योजनाओं एवं नीतियों को अस्तित्व में लाना है, साथ ही यह भी पता लगाना है कि इन सरकारी योजनाओं एवं नीतियों से महिलाओं के शिक्षा स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं रोजगार तथा राजनीतिक क्षेत्र में लाभप्रद साबित हुई या नहीं। साथ ही इस शोध के द्वारा यह जानने की कोशिश की गई है कि वर्तमान में महिलाओं आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण किन-किन योजनाओं सुविधाओं एवं अधिनियम कि अभी और आवश्यकता है। इस शोध का उद्देश्य उपलब्ध योजनाओं अधिनियम एवं सुरक्षा संबंधी उपायों की वास्तविक एवं व्यवहारिक तस्वीर सबके सामने लाना है।

1.1 प्रस्तावना—

किसी भी देश के विकास तथा प्रगति के लिये महिलाओं का सशक्त होना अत्यन्त आवश्यक है। यद्यपि संवैधानिक रूप से भारतीय महिलाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त हैं। विकासशील देशों में उसके कार्यक्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। आज महिलाएँ चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में पुरुषों से कई कदम आगे आयीं हैं। महिलाओं की सफलताओं और उपलब्धियों की आशा अब हर क्षेत्र में की जा रही है। महिलाओं की ये उपलब्धियाँ महिला सशक्तिकरण के कारण ही सामने आयीं हैं। पिछले दो दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद महिलाओं के लिये रोजगार और व्यवसाय के अवसर भी अधिक खुले हैं जिससे उनकी प्रतिभा में काफी

निखार आया है। मगर महिला सशक्तिकरण का अर्थ बड़े रोजगार ही नहीं हैं, न ही इसका क्षेत्रषाहरों तक सीमित रखा जा सकता है। गाँधी जी कहते थे कि गाँवों में किसान खुशहाल होंगे तो देश अपने आप ही खुशहाल हो जाएगा। ये बात महिला सशक्तिकरण पर भी लागू होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ सदियों से घर व खेतों में पुरुषों के बराबर ही काम करती आयीं हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता रहा है। आज भी हमारी जनसंख्या की बहुसंख्या गाँवों में ही है इसलिये ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकार व सुरक्षित जीवन प्रदान करने के लिये महिला सशक्तिकरण की अनिवार्यता अत्यंत आवश्यक हो गयी है। यह सत्य है कि आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय है। उन्हें न ही अपने अधिकारों का ज्ञान है और न ही पूर्ण स्वतंत्रता। अतः आज यह आवश्यक हो गया है कि “महिला सशक्तिकरण” अभियान सम्पूर्ण राज्य में सख्ती से चलाया जाये। यदि यह अभियान ग्रामों व शहरों में सख्ती से संचालित होगा तभी इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ सकेगा। शोधार्थी द्वारा भी इस शोध विषय का चुनाव इसलिये किया गया है क्योंकि शोधार्थी यह जानना चाहती है कि जिन महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन महिलाओं का आर्थिक विकास कैसे किया जा सकता है तथा इन महिलाओं के विकास में जो बाधाएँ उत्पन्न होती हैं उन्हें कम कैसे किया जा सकता है। अतः महिलाओं के कल्याण व उत्थान हेतु “महिला सशक्तिकरण” विषय का चुनाव किया गया।

1.1 महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की उत्पत्ति—

किसी भी समाज की तस्वीर बदलने में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मुझे योग्य माता दे दो मैं तुमको योग्य राष्ट्र दूँगा। आज हर क्षेत्र में महिलाएँ पुरुषों के कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य कर रही हैं। महिला सशक्तीकरण के दौर में महिलाओं ने घर की देहड़ी से बाहर कदम बढ़कर स्वयं कामकाजी महिला होने का गौरव हासिल किया है तथा स्वयं की व समाज की स्थिति को परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया है। पुरातन समाज में किसी की माँ अथवा बहू या पत्नी के रूप में पहचानी जाने वाली महिला ने अपनी परम्परागत छवि को तोड़ा है। आज उसकी स्वयं की अपनी पहचान है। उसने पुरुषों के समकक्ष स्तर, अवसर तथा सामाजिक, आर्थिक व कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। एक कामकाजी महिला की स्थिति का ऑकलन करना एक कठिन कार्य है। यँ तो प्रत्येक महिला कामकाजी होती है। परन्तु घरेलू महिला के कामकाज का आर्थिक मूल्य न होने के कारण उसे कामकाजी की श्रेणी में नहीं रखा जाता। पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में यदि देखा जाय तो यहाँ महिला ही घरेलू जीवन की धुरी होती है और कामकाज के बोझ के तले दबी रहती है, परन्तु उसके कार्य का आर्थिक रूप से कोई मूल्यांकन न होने के कारण उसे कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। यँ तो सामान्य रूप से एक महिला का जीवन सदैव ही परिवार को समर्पित रहा है, परन्तु आज महिला परिवार से इतर स्वयं के लिए भी सोचने लगी है, परन्तु क्या उसकी इस स्थिति को समाज ने स्वीकृत किया है? इस शोध पत्र के माध्यम से यही जानने का प्रयास किया गया है।

1.3 महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के संदर्भ में किये गये सरकारी प्रयास—

1950 में भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक के समान विकास हेतु विविध प्रावधान किये गए चाहे वह महिला हो या पुरुष। संविधान के अनुच्छेद-15 द्वारा लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध सुनिश्चित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। लैंगिक समानता का तात्पर्य स्त्री तथा पुरुष दोनों को अवसर की समानता उपलब्ध कराने से है। महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक हितों की उन्नति हेतु 1953 में भारत सरकार ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया। 1954-55 में राज्य स्तर पर सोशियल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड स्थापित किये गये। 1976 में सामाजिक विकास मंत्रालय के अधीन महिला कल्याण व विकास ब्यूरो की स्थापना की गयी। 1982 में ड्वकरा योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को समूहों में गठित कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये गये। 1997 में स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ होने के बाद 1999 में ड्वकरा योजना को इसमें समाहित कर दिया गया। 1985 में महिला व बाल विकास विभाग की स्थापना की गयी। महिला मण्डलों का गठन, तथा विविध सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महिला संगठनों को मजबूती प्रदान करना, मातृत्व लाभ, महिलाओं में साक्षरता प्रसार, कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु क्रेच खोलना जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गयी। कई स्वयं सहायता समूहों तथा महिला संगठनों ने भी महिलाओं को कौशल वृद्धि करने तथा उद्यमिता के अवसर प्रदान किये हैं। महिलाओं में निहित कौशल को लघु उद्योगों के माध्यम से विस्तारित कर उन्हें आर्थिक व सामाजिक स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ परम्परागत रूप से किये जाने वाले विविध कार्यों जैसे बड़ी, चिप्स, पापड़, अचार बनाने तथा ऐपण, सिलाई, कढ़ाई जैसे कार्यों के माध्यम से आर्थिक सशक्तता प्राप्त कर रही हैं। साथ ही घरेलू कार्यों को बाजार में पहचान दिलाने के साथ ही खुद को भी समाज में प्रतिस्थापित कर रही हैं।

1.4 विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किये गये प्रयास-

महिलाएँ समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। महिला विकास के संदर्भ में प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के अन्तर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया तथा राज्य स्तर पर सोशियल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड स्थापित किये गये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) में सघन कृषि विकास कार्यक्रमों को महिला सशक्तिकरण से जोड़ा गया। तृतीय (1961-66) व चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) के अन्तर्गत महिलाओं में शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल दिया गया। पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79) में महिलाओं की आय के सृजन व प्रशिक्षण पर मुख्य बल दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अन्तर्गत महिला कल्याण के स्थान पर महिला विकास के प्रत्यय को रखा गया तथा यह इंगित किया गया कि विकास हेतु आवश्यक संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच न होना उनके विकास की सबसे बड़ी बाधा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के अन्तर्गत लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के विविध आयामों-आत्मविश्वास, जागरूकता व कौशल विकास पर बल दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से निचले तबके की महिलाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। दसवीं

पंचवर्षीय योजना (2002–07) के अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण, रोजगार तथा आय संवर्द्धन तथा लैंगिक न्याय के माध्यम से उनके सामाजिक व आर्थिक विकास का प्रयास किया गया (राव, 2018)। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अन्तर्गत घरेलू हिंसा से सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण तथा जेण्डर बजटिंग जैसे— पहलुओं पर बल दिया गया, साथ ही यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि सरकारी स्तर पर संचालित समस्त योजनाओं में कम से कम 33 प्रतिशत लाभार्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से महिलाएँ अथवा लड़कियाँ ही हों। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में महिला के आर्थिक विकास को परिवार व समाज में सम्मान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन मानते हुए संसाधनों तक उनकी पहुँच व संसाधनों पर नियंत्रण की प्रक्रिया को महत्व प्रदान किया गया। उन्हें तकनीक, शिक्षा व कौशल सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया गया। शिक्षा प्रणाली में लैंगिक संवेदनशीलता को स्थान देने पर बल दिया गया।

1.5 सरकारी नीतियों एवं योजनाओं का महिला सशक्तिकरण में योगदान

भारतीय संविधान की संघीय संरचना का तात्पर्य है कि शासन और महिलाओं की भागीदारी के मुद्दों को 3 स्तरों पर संबोधित किया जाता है, कौय राज्य और स्थानीय निकाय संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन को स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया गया है और शासन के तीसरे स्तर को ध्यान में रखा गया है।

शासन के जमीनी स्तर पर एक मिलियन से अधिक महिलाओं को कार्यालय के लिए चुना गया है। इस अवधि ने महिलाओं के समूहों के विकास और मान्यता को महिलाओं की भागीदारी और सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में देखा है। शासन के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की इस बड़ी उपस्थिति को देखते हुए अब उनके मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक हो गया है, भारतीय संदर्भ में भी यह सही है की पितृसत्तात्मक स्थापना और पारंपरिक लैंगिक भूमिका और पहचान के साथ भागीदारी को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शासन और निर्णय लेने में पुरुषों और महिलाओं के लिए एक तरह से निर्णय लेना महिलाओं के लिए हानिकारक है। सुशासन में महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के लिए उपाय करने के लिए एक समान मंच प्रदान करना है, ताकि वे शासन की प्रक्रिया में शामिल हों सकें और एक वास्तविकता बनने के लिए सुशासन के लिए यह आवश्यक है। भारत सरकार रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी विकास आदि में सुधार के लिए कई कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें से कुछ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जैसे प्रमुख कार्यक्रम हैं।

रोजगार गारंटी योजना एकीकृत बाल विकास शन्मे सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीयग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आगे गरीबी उन्मूलन में बुनियादी सुविधाओं द्वारा निभाई गई भूमिका की मान्यता में सरकार ने 2005 में भारत निर्माण के तहत एक समयबद्धयोजना को शुरू किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं समान लाभार्थी हैं और सभी कार्यक्रमों में उनकी जरूरतों और चिंताओं को शामिल किया गया है, इनमें से कई विशेष रूप से बुनियादी ढांचा वितरण कार्यक्रम हैं, हालांकि प्रतीत होता है कि लैंगिकता तटस्थ अक्सर उनके विभिन्न जीवन अनुभवों की आवश्यकताओं को देखते हुए महिलाओं पर एक अंतर प्रभाव पड़ता है सामाजिक सांस्कृतिक संचालकों और प्राथमिकताओं को भी पहचानने और संबोधित करने की आवश्यकता है। महिला सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 सशक्तिकरण को एक सक्षम प्रक्रिया के रूप में मानती है

जो कि उनके आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन का कारण बनती है। सरकार ने इस दृष्टिकोण को विधायी और प्रोग्रामेटिक हस्तक्षेपों के साथ-साथ विकास की योजना बनाने की प्रक्रिया में लैंगिकता को मुख्यधारा द्वारा संचालित करने की कोशिश की है। बारहवीं योजना अवधि के दौरान इस तरह की पहल की गई थी, इन पहलों को समेकित करने और बारहवीं पंचवर्षीययोजना के दौरान निर्माण करने की आवश्यकता है, ताकि वे चुनौती को चुनौती देने में सक्षम हो सकें और उन संदर्भों को बदल सकें जिनमें वे विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ध्यान केंद्रित करते हैं।

1.6 कामकाजी महिलाओं की आर्थिक स्थिति—

आर्थिक रूप से भी कामकाजी महिलाएँ सशक्त होती हैं, इसी कारण अपनी आवश्यकताओं को महत्व दे पाती हैं तथा परिवार को भौतिक सुख-सुविधाएँ प्रदान करते हुए सामाजिक व आर्थिक स्तर को बढ़ाने में सहायक होती हैं। गोला (2016) के अनुसार, “महिलाएँ विशेषकर महानगरों में अपने घर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाती हैं तथा सशक्तिकरण की पहचान के रूप में विद्यमान महिलाएँ अपने घरेलू कामकाज हेतु किसी एक व्यक्ति को रोजगार भी दे पाती है।” स्ट्रोमक्विस्ट (2005) के अनुसार, “आर्थिक सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि स्त्री किसी उत्पादन कार्य द्वारा स्वायत्तता प्राप्त कर पाये। वर्तमान समाज में पहचान स्थापित करने हेतु आज ‘फेमिली स्टेट्स’ ही सबसे महत्वपूर्ण बन गया है।” अतः इस स्टेट्स की प्राप्ति हेतु महिलाएँ सामाजिक व आर्थिक सशक्तता के हर पैमाने पर स्वयं को मजबूती से खड़ा रखना चाहती है। इस तरह वे व्यक्तिगत सशक्तता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आर्थिक स्थिति के आँकलन हेतु उनकी व्यक्तिगत स्थिति के संदर्भ में यदि देखा जाय तो वह आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं। इस सशक्तता के बल पर वे स्वयं के तथा अपने बच्चों के हित के संदर्भ में निर्णय लेने लगी हैं। आर्थिक अशक्तता के कारण प्राचीन समय में सदैव पुरुष (पिता, पति, पुत्र) के अधीन रहने वाली महिला कामकाजी होने के कारण स्वनिर्देशित होने की स्थिति को प्राप्त कर चुकी है। आर्थिक सशक्तता के बल पर वह घरेलू समस्याओं के समाधान का हर सम्भव प्रयास करती है, तथापि पैसा हर समस्या का समाधान तुरन्त नहीं करता। यदि घरेलू नौकर काम छोड़कर चला जाय तो उसका प्रतिस्थानी तुरन्त मिलना बड़ा कठिन है। महानगरीय क्षेत्रों में जहां महिलाएं निजी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। घर से कार्यस्थल तक पहुंचने में लगने वाला समय तथा कार्य समय को देखा जाय, तो महिला 12 घंटे घर से बाहर बिताती है। केवल चार घंटे का समय ही उसके पास पारिवारिक संबंधों के निर्वहन के लिए बचता है, परन्तु परिवार, समाज व कार्य स्थल के उत्तरदायित्वों के बीच समायोजन की कोशिश में ये सदैव लगी रहती हैं। समायोजन की इस प्रक्रिया में यद्यपि तनावग्रस्तता की स्थितियाँ भी आती हैं, परन्तु इनकी सशक्तता इन परिस्थितियों से उबरने में सहायक होती है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में 90 प्रतिशत महिलाएँ आज भी अकुशल श्रमिक हैं, जिस कारण उन्हें उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है। अकुशल होने के कारण उत्पादित माल पर भी उनका कोई नियंत्रण नहीं रह पाता है

1.7 आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी

वर्ष 2020 महिला अधिकारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष माना जा सकता है। गौरतलब है कि यह महिला अधिकारों और समाज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की भूमिका से जुड़ी दो बड़ी घटनाओं की 25वीं वर्षगाँठ का वर्ष है। इस वर्ष 'भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति' द्वारा संयुक्त राष्ट्र को 'समानता की ओर' या 'टुवर्डस इक्वालिटी' नामक रिपोर्ट को प्रस्तुत किये हुए लगभग 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस रिपोर्ट में भारत में महिलाओं के प्रति संवेदनशील नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए लैंगिक समानता पर एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास किया गया। साथ ही वर्ष 2020 में 'बीजिंग प्लेटफार्म फॉर एक्शन' की स्थापना की 25वीं वर्षगाँठ भी है, जो समाज में महिलाओं की स्थिति और सरकारों के नेतृत्व में उनके सशक्तीकरण के प्रयासों के विश्लेषण का एक बेंचमार्क है। पिछले दो दशकों में भारत में महिला अधिकारों की रक्षा हेतु कई बड़े प्रयास किये गए और इनके व्यापक सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं, हालाँकि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और इससे जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा कर अपेक्षित नीतिगत सुधारों को अपनाना बहुत आवश्यक है।

1.8 भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका:

- भारत में महिला रोजगार संबंधी आँकड़े देश के आर्थिक विकास, कम प्रजनन दर और स्कूली शिक्षा की दर में वृद्धि जैसे संकेतकों से मेल नहीं खाती।
- वर्ष 2004 से वर्ष 2018 के बीच स्कूली शिक्षा के मामले में घटते लैंगिक अंतराल के विपरीत कार्य क्षेत्रों में भागीदारी के संदर्भ में लैंगिक अंतराल में भारी वृद्धि देखने को मिली।
- हाल ही में जारी 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2018–19' के अनुसार, कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में भारी गिरावट देखने को मिली है।
- वर्ष 2011–19 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 35.8 प्रतिशत से घटकर 26.4 प्रतिशत ही रह गई।
- वर्ष 2019 में 'विश्व आर्थिक मंच' की 'वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट' में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और इसके लिये उपलब्ध अवसरों के संदर्भ में भारत को 153 देशों की सूची में 149 वें स्थान पर रखा गया था।
- गौरतलब है कि इस सर्वेक्षण में भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसमें आर्थिक भागीदारी में लैंगिक अंतराल राजनीतिक लैंगिक अंतराल से अधिक पाया गया।
- वर्ष 2019 में जारी ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार, लिंग के आधार पर वेतन के मामले में होने वाले भेदभाव के मामले में एशिया के देश सबसे प्रमुख हैं, एशिया में समान योग्यता और पद पर कार्य करने वाली महिलाओं को 34: कम वेतन प्राप्त हुआ।

- अक्तूबर 2020 में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अक्तूबर– दिसंबर 2019 में महिला बेरोजगारी की दर 9.8 प्रतिशत रही जो वर्ष 2019 में जुलाई–सितंबर की तिमाही के आँकड़ों से अधिक है, गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के बाद देशभर में बेरोजगारी के आँकड़ों में व्यापक वृद्धि देखी गई।

1.9 निष्कर्ष—

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किये गये सरकारी प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, जिसके फलस्वरूप 1951 में महिला साक्षरता का प्रतिशत 8.86 था, जो 2021 में 74.46 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह भी स्पष्ट है कि निश्चित रूप से उनके साक्षरता स्तर के बढ़ने के साथ ही उनकी कामकाज की स्थितियों में भी परिवर्तन हुआ है। 1950 के दशक में जहाँ महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित थी वहीं आज के दशक में महिलाओं में कामकाजी होने की प्रवृत्ति बढ़ी है। वे घरेलू के साथ ही बाहरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लगी हैं। विभिन्न प्रकार के घरेलू बिलों के भुगतान से लेकर परिवार के अन्य सदस्यों की शिक्षा व स्वास्थ्य संरक्षण की जिम्मेदारी महिला ही निर्वहन कर रही है। यद्यपि महिला व पुरुष दोनों ही पारिवारिक उत्तरदायित्वों के लिये सम्यक रूप से जिम्मेदार हैं। तथापि परम्परागत परिवेश में पले-बढ़े होने के कारण पारिवारिक उत्तरदायित्व महिलाएँ स्वयंमेव अपने ऊपर ले लेती हैं। परिवार की धुरी मुख्यतः महिला को इसलिए सम्भवतः माना जाता है। सामाजिक स्थिति के संदर्भ में भी यद्यपि महिला की समाज में एक पहचान होती है। घरेलू महिला की तुलना में समाज में उसका उच्चतर स्थान होता है, परन्तु इस पहचान के एवज में वह भागम-भाग में उलझ कर रह गयी है। जिन परिवारों में बड़े बुजुर्गों के रूप में दादा-दादी अथवा नाना-नानी का संरक्षण बच्चों को नहीं मिल पाता वहाँ बच्चों के लिए उसकी चिन्ता उसके कामकाज को प्रभावित करती है। कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त समय की माँग उसके लिए तनाववर्धक हो जाती है। अतः अपने कार्यक्षेत्र के दायित्वों की सहज सम्पन्नता में इनका योगदान पुरुषों के समकक्ष नहीं हो पाता। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में यह स्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सत्य है। संक्रमण के इस दौर के गुज़रने के बाद भावी पीढ़ी की महिलाएँ सम्भवतः सशक्तता के अधिक उच्च प्रतिमानों को स्थापित कर सकेंगी और पुरुषों के समकक्ष स्वयं को स्थापित कर सकेंगी।

घरेलू महिला की तुलना में उच्चतर सामाजिक आर्थिक स्थिति ही वर्तमान कामकाजी महिला को मनोवैज्ञानिक रूप से उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को नजरअन्दाज करने की क्षमता प्रदान करती है। मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण भावनाओं के विकास से सम्बन्धित होता है। इससे महिला घरेलू संदर्भों में उचित निर्णय लेने में सक्षम होती है, तथा उसके सामाजिक स्तर में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होती जाती है। यद्यपि महिला चाहे घरेलू हो या कामकाजी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, परन्तु घरेलू महिला के कार्य को कोई मूल्य निर्धारित न होने के कारण कामकाजी महिला को अधिक महत्व दिया जाता है, परन्तु वर्तमान कामकाजी महिलाओं में सशक्तता के साथ पनप रही 'लिव इन रिलेशनशिप' की प्रवृत्ति, अधिक उम्र में विवाह तथा विवाह के पश्चात् बच्चों की जिम्मेदारी से भय जैसे प्रश्न परिवार नामक संस्था के अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न लगाने वाले हैं। अतः कामकाजी महिलाओं को विकास के पथ पर अग्रसर रहते हुए उपरोक्त प्रश्नों पर अवश्य विचार करना

होगा तथा पुरुषों को भी घरेलू उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अवश्य सहभागिता निभानी होगी। तभी अन्ततः महिला सशक्तता को सार्थक संदर्भों में देखा जा सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची—

- कुमार, पार्थिव, शिक्षा से आया ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव, कुरुक्षेत्र, दिसम्बर, 2015.
- कुमारी, सोनी, गरीबों के लिए वरदान बनी इंदिरा आवास योजना, कुरुक्षेत्र, फरवरी, 2014.
- कुरुक्षेत्र, संपादकीय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, फरवरी, 2014.
- कोटवे, मधुकर, गाँवों से पलायन का बदलता स्वरूप, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, सितंबर 2014.
- कौशिक, जगबीर, 'नरेगा' गरीबों का सुरक्षा कवच, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, दिसम्बर, 2009
- गौतम, नीरज कुमार, ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, मार्च 2009.
- गोस्वामी, उर्मि, रोजगार और स्वास्थ्य रक्षा से सशक्त हुई महिलाएँ, कुरुक्षेत्र, सितंबर, 2021.
- अखिलेश, अंतरिम बजट में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान, कुरुक्षेत्र, अप्रैल, 2014.
- चौरसिया, बनर्जी, रोजगार और स्वास्थ्य रक्षा से सशक्त हुई महिलाएँ, कुरुक्षेत्र, सितंबर, 2011.